

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्‍व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 28  
दायरा तिथि : 01.01.2025  
आदेश तिथि : 14-02-25  
प्रार्थी :-

बाबाराम पुत्र नथाराम जाति मेघवाल निवासी कोठार तहसील बाली

ब नाम

अप्रार्थी :-  
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012  
बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 14-02-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1004/722 रकबा 0.3534 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 722 रकबा 0.75 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2025/361 दिनांक 10.02.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग से आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता इकलौता स्रोत नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता निकटतम विकल्प नहीं है अन्य निकटतम विकल्प उपलब्ध है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता गोकों पर प्रचलित नहीं है, अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रचलित है।
4. यह है कि ग्राम कोठार में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
	1011/722	0.6537 हैक्टर	बा.सो.	193x9=1737 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

यह है कि ग्राम कोठार में रास्ते हेतु अन्य वैकल्पिक प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
	1011/722	0.6537 हैक्टर	बा.सो.	58x9=522 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

नोट:- भूअ.निरीक्षक नाना द्वारा अन्य वैकल्पिक रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

6. यह कि भूअ. निरीक्षक नाना द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 1,51,300रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
- यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं अन्य वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की वृहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1004/722 रकबा 0.3534 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/363 दिनांक 10.02.2025 से आवेदित एवं अन्य वैकल्पिक नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट में अन्य वैकल्पिक रास्ता निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थी को निकटतम रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 1004/722 रकबा 0.3534 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 722 रकबा 0.75 हैक्टर में से 522 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति वर्गमी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 151300/-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1011/7 22	0.6537 हैक्टर	58x9=522 वर्गमीटर	16	8352x2=16704	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 16704/- (अक्षरे सोलह हजार सात सौ चार रूपये मात्र ) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। नायब तहसीलदार बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।




कमोंक/कोर्ट/2025/158-162  
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक बाबाराम पुत्र नथाराम जाति मेघवाल निवासी कोठार तहसील बाली को सूचनार्थ।

(दिनेश विनोई)  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
दिनांक : 18.2.25

सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली



Scale 1:2000

खसरा संख्या : 1011/722 क्षेत्रफल : 0.6537 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1  
 भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी सोयम [ 0.6537, 2.61 ]  
 राज. सरकार

*(Handwritten signature)*  
 तहसील बाली

*(Handwritten signature)*  
 ICR बाना  
 सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

Ex-court

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रतिलिपि जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रक्रियाओं में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

सहायक कलक्टर एवं पदेन  
 सक्षम अधिकारी, बाली